तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी । श्री के.के.पुरोहित व श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–11–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम अमलावाद तहसील प्रतापगढ में स्थित आराजी खाता संख्या 384 किता 7 रकबा 1.55 हैक्टयर भूमि रविन्द्र कुमार पुत्र लालूराम एवं रमादेवी पत्नि लालूराम के नाम दर्ज थी। रमादेवी के फौत होने के बाद भूमि का नामांतरकरण संख्या 442 ग्राम पंचायत अमलावद द्वारा रविन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, जानकी देवी एवं मंजू के नाम दिनांक 30–5–97 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या–1 से 3 ने उपखंड अधिकारी प्रतापगढ के यहां अपील प्रस्तुत की। उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26–9–05 द्वारा नामांतरकरण संख्या 442 एवं इसके पश्चात् भूमि का विक्रय जो रविन्द्र कुमार द्वारा अप्रार्थी संख्या–7 व 8 को किया गया था जिसके नामांतरकरण संख्या 509 तस्दीक हुआ था को निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार प्रतापगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि रमादेवी के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर नामांतरकरण आदेश पारित किये जावे। जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 17–11–06 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं 5 से 6 के पिता लालूराम शर्मा एवं उनके भाई मांगीलाल शर्मा के नाम दर्ज थी, जो उन्हें बक्शीशनामें में प्राप्त हुई थी। उक्त आराजी पैत्रक नहीं होकर स्वअर्जीत आराजी थी। चूंकि लालूराम के भाई मांगीलाल के कोई औलाद नहीं थी इस कारण मांगीलाल के वारिसान नहीं होने की सूरत में उक्त आराजी उनके जाईंदा सगे भाई लालूराम के नाम ही आई एवं उक्त आराजी को लालूराम व मांगीलाल द्वारा दिनांक 16–8–67 को रजिस्टर्ड बक्शीशनामा द्वारा प्रार्थी रविन्द्र कुमार एवं प्रार्थी की माता रमादेवी के नाम बक्शीश कर दी। इस कारण विवादित भूमि रविन्द्र कुमार की स्वअर्जित आराजी की श्रेणी में आती है एवं नामांतरकरण संख्या 442 प्रार्थीगण के नाम विधिवत् खोला गया। नामांतरकरण खोलते समय अप्रार्थी के पिता ने कोई एतराज नहीं उठाया और ना ही कोई उज्र किया। क्योंकि वह जानते थे कि विवादित आराजी उनके पिता द्वारा उनके भाई एवं मां के नाम बक्शीश कर दी गई है। इस कारण शिवशंकर के वारिसान जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 है, के द्वारा यह एतराज उठाना कि विवादित आराजी में उनका भी हक एवं हिस्सा है, पूर्णतः गलत है। इसके अलावा बक्शीशनामा करीब 40 वर्ष पुराना एवं पंजीकृत दस्तावेज है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना कोई हक एवं हकूक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का नहीं है। विवादित आराजी का विक्रय करते समय प्रार्थीगण की खातेदारी में थी तथा आराजी बैचने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। खरीद्दार के नाम नामांतरकरण भी पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया जा चुका था। पंजिकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना नामांतरकरण संख्या 509 निरस्त नही किया जा सकता था। किंतु उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दोनों अपीलीय न्यायालयो ने नजरअदांज करते हुये गैर कानूनी रूप से तथा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही आलोच्य आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी पैत्रक संपत्ति है तथा सभी सभी विधिक वारिसानों के नाम दर्ज होनी चाहिये। उपखंड अधिकारी ने प्रकरण रिमाण्ड कर रमादेवी के विधिक वारिसानों की जांच कर नामांतरकरण आदेश पारित करने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। रमादेवी ने विवादित आराजी की न तो कोई बक्शीश की है और न ही कोई वसीयत। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री लालूराम एवं श्री मांगीलाल पिता गौरीशंकर विवादित आराजियात के खातेदार थे जिन्होंने उक्त आराजियात जरिये पंजीकृत बक्शीशनामा दिनांक 16–8–67 को प्रार्थी रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती रमादेवी के नाम बक्शीश कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं उसी अनुसार राजस्व रिर्कोड में अंकन किया गया। रमादेवी की मृत्यु के उपरांत विरासती नामांतरकरण संख्या 442 तस्दीक किया गया। जिसमें पूर्व अंकन अनुसार रविन्द्र कुमार का नाम यथावत रखते हुये रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 उत्तराधिकारी के रूप में नाम स्वीकृत किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी के पिता शिवशंकर मृतक रमादेवी के पुत्र थे तथा जीवनकाल में रमादेवी द्वारा प्रश्नगत आराजीयात बाबत् कोई वसीयत नहीं की और न ही सेलडीड या अन्य माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	किया। अतः निवर्सीयत फोत रमादेवी के समस्त वारिसान प्रश्नगत संपत्ति में हकदार थे। हम न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के इस मत से सहमत है कि रमादेवी के फौत होने के बाद जब विरासती नामांतरकरण तस्दीक किया गया तो उस समय लालूराम और उसके भाई द्वारा निष्पादित किये गये बक्शीशनामें पर विचार नहीं किया जाना था बल्कि मृतक रमादेवी के कानूनी वारिसान की जांच की जानी थी तथा उसके समस्त कानूनी वारिसान का हक निर्धारण किया जाना था। परंतु विवादित नामांतरकरण संख्या 442 की कार्यवाहीं के समय इस बाबत् समुचित रूपसे विचार नहीं किया गया। मृतक शिवशंकर मृतक रमादेवी का पुत्र था तथा उसका कानूनन उक्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया हित निहित होना प्रतीत होता है। रविन्द्र कुमार की पत्नि को उपसरपंच की हैसियत से परोक्ष रूपसे हितबद्ध पक्षकार होने के कारण प्रकरण में निर्णय से अपने आपको अलग रखना चाहिये था। उपखंड अधिकारी के द्वारा निर्णय दिनांक 26–9–05 को नामांतरकरण संख्या 442 तथा 509 को निरस्त करते हुये तहसीलदार प्रतापगढ को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर मृतक रमादेवी के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर नामांतरकरण आदेश पारित करने के जो आदेश दिये है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा भी दिनांक 17–11–06 के निर्णय में समवर्ती निष्कर्ष दिये है और उपखंड अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य	